।। ओ३म् ।।

गुरुकुल हरिपुर, जुनानी, गोड़फूला

जि.नुआपड़ा (ओड़िशा)

छात्र प्रवेश नियमावली

2024-2025

fb.me/gurukulharipur.nuapada /GurukulHaripur

09178371663, 9438381611, 8658834231,

Email- gurukulharipur2019@gmail.com, Website- www.gurukulharipur.org

गुरुकुल की आवश्यकता

जिस शिक्षा की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन व समाज में व्यवहार के लिए है, वह शिक्षा गुरुकुलों से मिलती है, गुरुकुल ही भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं । गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था है । गुरुकुल का अर्थ-गुरु का परिवार । गुरुकुल को आचार्यकुल और ऋषिकुल भी कहते हैं । जीवन निर्माण हेतु, मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य पाने हेतु, योग, आयुर्वेद, धर्म, संस्कृति, जीवन-विज्ञान, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, आदि ग्रन्थों के अध्ययनार्थ तो गुरुकुल से अच्छा स्थान कहीं सुलभ नहीं होगा ।

गुरुकुल की आदर्श दिनचर्या

विद्वान् आचार्यों की देखरेख में 24 घण्टे विद्यार्थी अनुशासन में रहते हैं । सबके लिए समान भोजन, समान आवास व्यवस्था एवं अनेक प्रकार के समान शिक्षा व्यवस्था का सुन्दर प्रबन्धन आपको गुरुकुल में देखने को मिलेगा।

दिनचर्या में आत्मिक विकास के लिये 2 घण्टा मन्त्रपाठ सहित सन्ध्या-यज्ञ, ध्यान । शारीरिक विकास के लिए एवं भारतीय कृषि, शिल्प आदि परम्पराओं से अवगत हो, इसके लिये 2 घण्टे से अधिक शारीरिक श्रम । लगभग दो घण्टा व्यायाम, आसन, दण्ड बैठक, यौगिक जोगिंग, प्राणायाम आदि का प्रशिक्षण । कक्षा पाठ्यक्रम अध्ययन-अध्यापन हेतु 10 से 12 घण्टे की व्यवस्था ।

छात्र प्रवेश नियमावली

1. विद्यार्थी को प्रवेश के समय पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

2. प्रवेश से पहले छात्र की उत्तीर्ण कक्षा की लिखित एवं मौखिक परीक्षा होगी, जिसमें उत्तीर्ण होने के उपरान्त स्थायी प्रवेश दिया जायेगा।

3. यहां की शिक्षा एवं आवास व्यवस्था नि:शुल्क है । किन्तु प्रवेश शुल्क 3000/-(तीन हजार), दो जोड़ी विद्यालयीय पोषाक, दो लंगोट एवं दो जोड़ी विद्यालय अवकाश के उपरान्त धारण करने योग्य पोषाक हेतु 3000/-(तीन हजार) तथा भोजन आदि के लिये वार्षिक 18,000/-(अट्ठारह हजार) रूपये निर्धारित है । इस प्रकार कुल 24,000/-अभिभावक को एक किश्त में जमा करना होगा। संस्था के निर्णय अनुसार प्रत्येक शिक्षा वर्ष में महंगाई आदि को ध्यान में रखते हुए भोजन शुल्क में परिवर्तन सम्भव है, अत: तदनुसार अभिभावकों को शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ में भोजन शुल्क देना होगा । समय-समय पर पुस्तक एवं अन्यान्य साबुन तेलादि के लिये अलग से शुल्क अभिभावक को देना होगा।

4. छात्र का प्रवेश शुल्क आदि की प्राप्ति रसीद कट जाती है, पुन: किसी कारण वश छात्र गुरुकुल में अध्ययन करना नहीं चाहता है, ऐसी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। क्योंकि उस छात्र हेतु सम्पूर्ण पठन-पाठन, भोजन, आवास खाट आदि की व्यवस्था हेतु संस्था प्रबन्ध करली होती है तथा उस छात्र के वजह से अन्य छात्र को प्रवेश से वंचित कर दिये रहते हैं, अत: सोच-विचारकर प्रवेश दिलायें, प्रवेश उपरान्त एक या दो दिन या एक सप्ताह अथवा एक-दो-तीन महीने में भी छात्र नहीं रह पाने की स्थिति में शुल्क लौटाने हेतु निवेदन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें।

5. जो छात्र अपने जन्मदिवस के अवसर पर अन्तेवासियों के लिए खीर, पकौड़ी आदि कुछ विशेष बनवाना चाहते हैं, तो उस छात्र के अभिभावक को अतिरिक्त 2500/- गुरुकुल में जमा करना होगा।

अभिभावक के हस्ताक्षर

6. मैट्रीक (दसवीं) +2 (बारहवीं), शास्त्री (बी.ए.) प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष का बोर्ड प्रवेश शुल्क, पुस्तक एवं परीक्षा आवेदन (फार्म भराई) आदि का जो शुल्क होगा उसको अभिभावक को देना होगा, यथा समय अभिभावकों को इसकी सूचना दे दी जाएगी।

7. प्रवेश काल में आवश्यक वस्तु यथा- थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, कमण्डलु, टार्च, आसन (चटाई) एवं बेग तथा ऋतु अनुकूल वस्त्र अभिभावक को देना होगा ।

8. छात्र के चहुँमुखी विकास के लिये छात्र को गुरुकुल से शास्त्री से पूर्व लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, गुरुकुल का हर सम्भव प्रयास रहेगा कि छात्र योग्य बनें, फिर भी अध्यापकों के द्वारा छात्र अयोग्य घोषित होने पर अभिभावक को सूचित करके छात्र को घर वापस भेज दिया जायेगा ।

9. गुरुकुल में जो छात्र प्रवेश लेंगे उनके समुचित विकास एवं देखभाल के लिये अध्यापक 24 घण्टे नियुक्त होंगे, पुनरपि किसी कारणवश अधिकारियों से बिना पूछे छात्र गुरुकुल से अन्यत्र चला जाता है और वह घर नहीं पहुँचता है, रास्ते में दुर्घटना बगैरह होती है, उसमें गुरुकुल कदापि जिम्मेदार नहीं होगा ।

10. छात्र यदि पढ़ाई के बीच गुरुकुल छोड़ कर जाता है, तो सभी शुल्क जमा होने के उपरान्त ही उसे स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं अंकसूची दी जायेगी ।

11. छात्र किसी गम्भीर बीमार या आकस्मिक दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है तो तत्काल प्रारंभिक चिकित्सा प्रबन्धन किया जायेगा, ऐसे आपातकाल में अभिभावक को सूचित कर दिया जायेगा, चिकित्सा में हुए खर्च अभिभावक को देना होगा ।

12. वेशभूषा एवं भाषा की समानता की दृष्टि से यहां श्वेत वस्त्र एवं संस्कृत- हिन्दी तथा आवश्यकता के अनुसार ओड़िया व अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है ।

13. छात्रों को रुपया, मोबाईल, अनावश्यक मशीनरी सामान तथा मादक द्रव्य देना सक्त मना है, यदि छात्रों के पास ये सामान मिलते हैं तो 5000/- आर्थिक दण्ड एवं तीन से अधिक बार इसी प्रकार पकड़े जाने पर अभिभावक को सूचित कर आर्थिक दण्ड के साथ छात्र को निष्कासित/ बहिष्कृत कर दिया जायेगा ।

14. सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः ।
लालनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो गुणाः ।। (महर्षि पतञ्जलि महाभाष्यम्)

जो माता,पिता और आचार्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं, वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से अमृत पिला रहे हैं, और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाड़न करते हैं, वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट-भ्रष्ट कर देते हैं । क्योंकि लाड़न से सन्तान और शिष्य दोष युक्त तथा ताड़न से गुण युक्त होते हैं। अर्थात् हृदय में पवित्र भाव रखते हुए सुधार व निर्माण की दृष्टि से गुरुकुल में दण्ड भी दिया जाता है।

शिक्षा

प्रथमा- आठवीं कक्षा के समकक्ष है तथा इसकी सम्बद्धता ओड़िशा सरकार के विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग से है ।

पूर्व मध्यमा-9 वीं 10 वीं के समकक्ष है

उत्तर मध्यमा-11 वीं 12 वीं के समकक्ष है ।

विशेष ध्यान देने योग्य विषय- बहुभाषाविद् बनाने के पावन उद्देश्य से हिन्दी प्रदेशों से प्रवेश होने वाले छात्रों के लिये पाठ्य पुस्तक के साथ-साथ ओड़िया भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। गुरुकुल में सभी प्रान्तों के छात्र पढ़ते हैं । अतः उसको ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थानम्

अभिभावक के हस्ताक्षर

जो कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उस बोर्ड के अधीन केवल गुरुकुलों के लिए राष्ट्रीय संस्कृत कमिशन के द्वारा अनुमोदित एक संस्कृत पाठ्यक्रम संचालित होता है । जिसकी मान्यता सर्वभारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है । अत: गुरुकुल में दसवीं एवं बारहवीं कक्षा उस राष्ट्रीय संस्कृत बोर्ड से संचालित होता है। यहां से दसवीं व बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थी बाहर जाकर कला संकाय (आर्ट्स) व संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं। तथा संस्कृत विश्वविद्यालयों में यहां से बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थी (योग व कम्प्यूटर) में बी.एस.सी व एम.एस.सी. कर सकता है ।

शास्त्री- यह बी.ए. के समकक्ष है। जिसकी परीक्षाएं महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से संचालित होती हैं। *आगामी दिनों में 9-12 वीं तक के लिए केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम संचालित होगा, जिसमें अंग्रेजी, गणित आदि विषय भी पढ़ाए जायेंगे*।

इस समय गुरुकुल में निम्नलिखित विषय पाठ्यक्रमों में पढ़ाए व सीखाये जाते हैं - संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, वेद, दर्शन, उपनिषदों के साथ साथ हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, संगीत, कम्प्यूटर, कृषि विद्या (गो सेवा), पाक विद्या, सिलाई आदि विविध विद्याओं की पढ़ाई की व्यवस्था है। (ध्यान रहे दशवीं व बारहवीं में अंक गणित नहीं है किन्तु अंक गणित के समान ही प्राचीन दुरुह पाठ व्याकरण को गणित के स्थान में पढ़ाया जाता है)। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के स्थान में प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को शामिल किया गया है । यहां से बी.ए., एम.ए. अध्ययनोपरान्त विद्यार्थी सरकारी नौकरी (शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, सैनिक, सेना में पुरोहित, व्यायाम शिक्षक, कृषि विशेषज्ञ, वक्ता, लेखक, राजनेता, पौरोहित्य कार्य में निपुण) में आराम से जा सकते हैं ।

विशेष- छात्रों के बौद्धिक स्तर को उच्च बनाने के लिये विभिन्न सैद्धान्तिक परीक्षायें दिलाई जाती हैं। साथ में बुद्धिमान् छात्रों को प्राचीन शास्त्र- वेद, दर्शन, उपनिषद्, गीता, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, निघंटु आदि विविध शास्त्र स्मरण कराए जाते हैं, जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान् बनें ।

विचारणीय- बाहर की शिक्षा केवल नौकरी की गारंटी देती है (आज कल जनसंख्या अत्यधिक होने से, कॉलेज बहुत होने से, पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत होने से कोई भी नौकरी की गारंटी नहीं दे सकता) किन्तु गुरुकुल की शिक्षा नौकरी की गारंटी देने के साथ-साथ एक सच्चा मनुष्य बनाने की गारंटी देती है । कॉलेज में पढ़ा हुआ साक्षर तो होता है, नौकरी के योग्य हो जाता है किन्तु उसका आचरण आदि के विषय में न लिखना ही ठीक है । किन्तु गुरुकुल में पढ़ने वालों का सेवा भाव, राष्ट्र व धर्म के लिए समर्पित जीवन, शुद्ध आचरण, स्वस्थ निरोगी जीवन देखने ही लायक होता है।

अभिभावकों के लिये नियम

1. वे अभिभावक गुरुकुल में अपनी सन्तानों को छोड़ना चाहते हैं, जो स्वयं धार्मिक हों तथा अपनी सन्तानों को धार्मिक, सज्जन, विद्वान्, आज्ञाकारी, देशभक्त, चरित्रवान्, अध्ययन पटु व सर्वगुण सम्पन्न बनाने के इच्छुक हैं । और यह एक कटु सत्य भी है जो सन्तान बुद्धिमान् तो हैं किन्तु चंचल हैं, बात नहीं मानते, अधिक टी.वी., मोबाईल देखते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, आज्ञाकारी नहीं हैं, गांव में असंस्कारित बच्चों के साथ घूमते हैं, अधिक समय खाने-पीने में रहते हैं, गुस्सा करते हैं, उत्तर देते हैं आदि विपरीत आचरणों के कारण अभिभावक गुरुकुलों में अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं ।

अभिभावक के हस्ताक्षर

2. आज के युग में भी आर्यसमाज द्वारा संचालित वैदिक गुरुकुल का वैशिष्ट्य है कि वे बाहर से आये हुए निम्न से निम्न स्तर एवं उच्च से उच्च स्तर के विद्यार्थियों को उत्तम बनाने के लिए यत्परोनास्ति उद्यम करते हैं, सामर्थ्य रखते हैं एवं विद्यार्थी निर्माण के लिए गुरुकुल के सम्माननीय आचार्य गण कठोर परिश्रम भी करते हैं, माता पिता से भी अधिक ध्यान बच्चों के लिए रखते हैं । अत: जो अभिभावक अपनी सन्तानों को यदि कम से कम गुरुकुल में बारहवीं से लेकर शास्त्री तक पढ़ाना नहीं चाहते वे अपनी सन्तानों को गुरुकुल में प्रवेश न दिलायें, क्योंकि विद्यार्थी गुरुकुल में प्रवेश लेते ही उसकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, बौद्धिक उन्नति के लिए सम्माननीय आचार्यों द्वारा प्रयत्न आरम्भ हो जाता है, विद्यार्थी अपने घर में जैसा था, गुरुकुल में आते ही कुछ महीनों में उस विद्यार्थी में परिवर्तन देख कर अभिभावक सोचते हैं कि मेरे पुत्र में परिवर्तन अथवा सुधार हो गया ऐसा विचार कर बीच में ही गुरुकुल से ले जाना चाहते हैं । ये गुरुकुल व उस विद्यार्थी के साथ उचित व्यवहार नहीं है । गुरुकुल में शिक्षा, आवास, ट्यूशन, विविध प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं । अत: जो अभिभावक बीच में अपनी सन्तानों को ले जायेंगे तो उन्हें गुरुकुल को 20,000/-(बीस हजार) का आर्थिक सहयोग देकर लेना होगा। (यदि शास्त्री तक कोई विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ लेता है तो वह बाहरी दुनिया में हर परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम होकर प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलम्बी हो जाता है। इसलिए हम जोर देकर लिखते हैं शास्त्री तक की पढ़ाई करनी चाहिए)

3. यदि कोई अभिभावक गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं और उनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है तो उन्हें बारहवीं तक तो जो निर्धारित भोजन शुल्क है देना होगा एवं शास्त्री (बी.ए.) कक्षा में उन शुल्क देने में असमर्थ विद्यार्थियों से भोजन शुल्क नहीं लिया जाएगा, इस शर्त के साथ कि वह शास्त्री कक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त इसी गुरुकुल से छात्रवृत्ति प्राप्तकर गुरुकुल में रहकर एम.ए., बीएड की पढ़ाई के साथ-साथ दो वर्ष गुरुकुल की व्यवस्था में सहयोग दे। इस नियम की अवमानना किसी भी परिस्थिति में नहीं करनी चाहिए ।

4. जो अभिभावक बिल्कुल असहाय हैं किन्तु वे गुरुकुल में अपनी सन्तानों को पढ़ाना चाहते हैं, उस स्थिति में उन अभिभावकों से तीन वर्ष तक तो भोजन शुल्क लिया जाएगा, तदुपरान्त छात्र का व्यवहार आदि देख कर गुरुकुल अपनी व्यवस्था से उस छात्र को पढ़ाएगा । यहां भी नियम उलंघन होने पर उपर्युक्त तृतीय नियम लागू होगा। अर्थात् ब्याज सहित भोजन शुल्क आदि देना होगा।

विशेष:- ईश्वर को साक्षी मानकर लिख रहे हैं इस गुरुकुल शिक्षण संस्था का उद्देश्य धन उपार्जन नहीं अपितु केवल शुद्ध मानव निर्माण करना है। अत: मानव निर्माण के लिए समर्पित यह संस्था है।

5. नवान्न भक्षण (नुआखाई) में 7 दिन अवकाश रहेगा तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 मई तक रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त और अन्य दिनों में अवकाश मांगकर गुरुकुलीय व्यवस्था में बाधक न बनें एवं स्वयं शर्मिन्दा न होवें।

6. कोई भी अभिभावक गुरुकुल के अधिकारियों की अनुमति बिना छात्रों से न मिलें ।

7. अभिभावक गुरुकुल के प्रबन्धकों के आज्ञा के बिना रुपया एवं भोग्य पदार्थ छात्र को नहीं दे सकेंगे, भोग्य पदार्थ देना हो तो पतंजलि के सामान दे सकते हैं (वो भी आज्ञानुसार)।

8. अभिभावकों को छात्रावास जाना निषेध है, कार्यालय या यज्ञशाला में बैठकर छात्रों से बातचीत करेंगे । अन्य छात्र के साथ अन्य अभिभावक को मिलकर संवाद करना सर्वथा वर्जित है ।

9. अभिभावक बार-बार छात्रों से मिलने न आयें, प्रत्येक दूसरे महीने के दूसरे रविवार को प्रात: 10 से 12 बजे तक छात्रों से मिल सकते हैं, छात्रों से फोन (मोबाईल) सम्पर्क सर्वथा वर्जित है, आवश्यक होने पर अधिकारियों के मोबाईल में सूचना दे सकते हैं ।

अभिभावक के हस्ताक्षर

10. वर्ष में दो बार " छात्र अभिभावक संवाद सम्मेलन " श्रावणी (रक्षाबन्धन) पर्व पर एवं गुरुकुलीय वार्षिकोत्सव के समापन दिवस पर होगा । अत: सभी अभिभावकों को इन बैठक कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ेगा ।

11. वर्ष में दो बार त्रिदिवसीय व्यक्तित्व निर्माण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें प्रत्येक छात्र के माता-पिता को अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। वैसे ही वर्ष में दो बार ज्ञान-विज्ञान व आत्मनिर्माण शिविर का आयोजन होगा, जिसमें आपको अपने बन्धु-बान्धवों व परिचितों को शिविर में भाग लेने हेतु प्रेरित करना होगा।

12. प्रत्येक माह के अन्तिम में सभी विषयों के मासिक परीक्षा परिणाम अभिभावकों के व्हाट्सआप पर प्रेषित किया जायेगा, उसे ध्यान से देखना होगा।

13. शैक्षणिक भ्रमण व यज्ञादि कार्यक्रमों के लिए गुरुकुल से छात्र बीच-बीच में अन्यत्र जाते हैं, इसी प्रकार खेलकूद, रस्सी, मल्लखम्भ आदि विविध व्यायामों का अभ्यास करते रहते हैं, उसी बीच आकस्मिक कोई अनहोनी घटना घट जाये व तत्काल शारीरिक अस्वस्थता हो जाता है तो गुरुकुल जिम्मेदार नहीं होगा।

उपर्युक्त सभी नियमों के लिए प्रत्येक अभिभावक को पचास रूपये वाला स्टाम्प पेपर में अभिभावक शपथ पत्र गुरुकुल में देना होगा।

उपर्युक्त सभी नियमों को मैं ठीक से पढ़ा हूँ, समझा हूँ और गुरुकुलीय व्यवस्था में सहयोगी बनकर इन नियमों को अक्षरश: पालन करुंगा और अभिभावक शपथ पत्र गुरुकुल में जमा करुंगा । अत: मेरे पुत्र को गुरुकुल में प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये ।

प्रवेशकाल में जमा किये जाने वाले दस्तावेज

1. छात्र की पिछली कक्षा के अंकपत्र की प्रतिलिपि एवं टी.सी. की मूल प्रति, जातिप्रमाण पत्र (Caste Certificate), निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate), आधार कार्ड की प्रतिलिपि, चार पासपोर्ट साइज की फोटो।

2. छात्र से मिलने आने वाले तीन अभिभावकों के पासपोर्ट फोटो चार-चार, आधार कार्ड व चुनाव पहचान पत्र की प्रतिलिपि। ध्यान रहे यहां जिनकी फोटो होगी, वे ही छात्र से मिल पायेंगे।

3. छात्र का चिकित्सा प्रमाणपत्र (Medical Certificate)। इन दस्तावेजों के अनिवार्य रूप से जमा होने पर ही छात्र का स्थायी प्रवेश होगा। सहयोग के लिए धन्यवाद ।

विशेष.-किसी भी विवाद के प्रतिवाद हेतु न्यायक्षेत्र नुआपड़ा ही होगा ।

दिनाङ्क- .....

साक्षी के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

आचार्य/उपाचार्य

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

अभिभावक शपथ पत्र

मैं श्री....., आयु.....वर्ष ग्राम..... पो....., था....., जि....., पिन..... ओड़िशा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ । मेरा आधार नम्बर ..... है । गुरुकुल हरिपुर द्वारा प्रदत्त छात्र प्रवेश नियमावली 2024-25 के सभी नियमों को मैं स्वस्थ मन से अच्छी तरह पढ़ा हूँ, समझा हूँ, उन नियमों को मानकर मैं अपने पुत्र ..... को गुरुकुल हरिपुर, जुनानी,पो. गोड़फूला, जि. नुआपड़ा में कक्षा ..... में प्रवेश करा रहा हूँ।

गुरुकुलीय व्यवस्था में सहयोगी बनकर नियमावली में वर्णित सभी नियमों को अक्षरशः पालन करुंगा, समय अनुसार धर्म और न्याय पूर्वक गुरुकुलीय नियमों में जो परिवर्तन और संशोधन होगा उन नियमों को भी मैं सहर्ष पालन करुंगा। गुरुकुल के विरोध में कभी भी किसी भी प्रकार की राजनीति या उपद्रव नहीं करुंगा।

छात्र के हस्ताक्षर

अभिभावक के हस्ताक्षर

साक्षी

1.
2.
3.

***